## No.12012/1/2022-UPP(E-30882) Government of India Ministry of Chemicals & Fertilizers Department of Fertilizers

Shastri Bhawan, New Delhi Dated the & ?<sup>♯</sup>June, 2025

То

The Managing Director, Mangalore Chemicals & Fertilizers Limited (MCFL) Level 11, UB Towers, UB City, 24, Vittal Mallya Road, Bangalore – 560001.

Subject: - Revision in Provisional Concession Rates and Sales Tax Rates per MT of urea on account of annual escalation/de-escalation in input prices for the financial year 2022-23 in respect of Mangalore Chemicals & Fertilizers Limited (MCFL)-Mangalore.

Sir,

I am directed to say that it has been decided to revise the concession rates and Sales Tax per MT for urea produced by Mangalore Chemicals & Fertilizers Limited (MCFL)-Mangalore on account of annual escalation/deescalation in input prices for the financial year 2022-23, as per details given below:

MCFL-Mangalore		Rs/MT	МТ			
Period		Details			Existing Rate	Revised Rate
01.04.2022 30.06.2022	to	Concession taxes	Price	including	56,992	56,006
01.07.2022 30.09.2022	to	Concession taxes	Price	including	67,009	56,006
01.10.2022 31.12.2022	to	Concession taxes	Price	including	57,635	56,006
01.01.2023 31.03.2023	to	Concession taxes	Price	including	57,635	56,006

2. The above concession rates and sales tax rates are provisional subject to audit and revision on account of any correction in data / workings and computation, if noticed later.

3. You may prefer your claims on the basis of the revised concession price in the proforma prescribed by the FICC. Reduction in subsidy on account of downward revision of concession price may be duly adjusted in the arrears

subsidy bills or fresh subsidy bills to be preferred with the FICC and in case no payments are due from the Government, the amount be refunded to the Government by due date.

4. This issues with the concurrence of the Finance Division of this Department conveyed vide note #246 dated 23.06.2025 of E-File of even number.

Yours faithfully,

(Amar Khushwaha) Deputy Secretary (UPP Section) Tele: 23384889

Copy to:

- 1. Controller of Accounts, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi
- 2. Director General, Fertilizers Association of India, 10 Shaheed Jit Singh Marg, new Delhi-110067
- 3. ED, FICC
- 4. Director (CE), FICC
- 5. Director of Accounts, Fertilizer Accounts Wing, Department of Fertilizers, Udyog Bhawan, New Delhi.
- 6. Pay & Accounts Officer, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi.
- 7. Jt. Director (F&A), FICC, 8th Floor, Sewa Bhawan, New Delhi 110066
- 8. Fin-II Desk, Department of Fertilizers
- 9. US (IT), DoF for uploading the Notification of concession rate on website of the Department.
- 10. Guard File.

(Amar Khushwaha) Deputy Secretary (UPP Section) Tele: 23384889

## सं.12012/1/2022-यूपीपी (ई-30882) भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली दिनांक: 27 जून, 2025

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

मैसर्स मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

लेवल 11 यूबी टावर्स, यूबी सीटी

24, विट्टल माल्या रोड ,बंगलौर-560001

विषय: मैसर्स मैसर्स मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड – मंगलौर के संबंध में वर्ष 2022-23 की वार्षिक वृद्धि/कमी के कारण यूरिया की प्रति मीट्रिक टन अनंतिम रियायत दरों और बिक्री कर दरों में संशोधन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2022-23 की वार्षिक वृद्धि/कमी के कारण मैसर्स मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - मंगलौर एसपीआईसी द्वारा उत्पादित यूरिया की प्रति मीट्रिक टन अनंतिम रियायत दरों और बिक्री कर दरों को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:

एमसीएफएल- मंगलौर

रुपये/मीट्रिक टन

अवधि	ब्यौरा	मौजूदा दर	संशोधित दर
01.04.2022 से 30.06.2022 तक	कर सहित रियायत मूल्य	56992	56006
01.07.2022 से 30.09.2022 तक	कर सहित रियायत मूल्य	67009	56006
01.10.2022 से 31.12.2022 तक	कर सहित रियायत मूल्य	57635	56006
01.01.2023 से 31.03.2023 तक	कर सहित रियायत मूल्य	57635	56006

2. उपर्युक्त रियायत दरें और बिक्री कर दरें अनन्तिम हैं जो लेखा परीक्षा किए जाने तथा आंकड़ों/गणनाओं तथा परिकलनों में बाद में जानकारी में आए किसी त्रुटि-सुधार के कारण संशोधन किए जाने के अध्यधीन हैं।

3. आप एफआईसीसी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संशोधित रियायत मूल्य के आधार पर अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। रियायत मूल्य में कटौती करते हुए संशोधन के कारण राजसहायता में कमी को बकाया राजसहायता बिलों अथवा एफआईसीसी को प्रस्तुत किए जाने वाले नये राजसहायता बिलों में विधिवत समायोजित किया जाएगा और यदि सरकार की ओर से कोई भुगतान देय न हो तो राशि को निर्धारित तिथि तक सरकार को लौटा दिया जाए।



4. इसे इस विभाग के वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है, जो सम संख्यांक की ई-फाइल के नोट #246 दिनांक 23.06.2025 द्वारा सूचित किया गया है।

भवदीय,

अगर मिश्वा (अमर कुशवाहा) उप सचिव (यूपीपी) दूरभाष: 23384889

## प्रतिलिपिः

- 1. लेखा नियंत्रक, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
- महानिदेशक, फर्टिलाइजर्स एसोशिएसन ऑफ इंडिया, 10 शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110067.
- 3. कार्यकारी निदेशक, एफआईसीसी
- 4. निदेशक (सीई), एफआईसीसी
- 5. निदेशक लेखा, उर्वरक लेखा विंग, उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
- 6. वेतन एवं लेखा अधिकारी, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
- 7. संयुक्त निदेशक (एफएंडए), एफआईसीसी, 8वां तल, सेवा भवन, नई दिल्ली-110066
- 8. वित्त-।। डेस्क, उर्वरक विभाग।
- 9. अवर सचिव (आईटी) को इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

10. गार्ड फाइल।

अगर कुश्वही (अमर कुशंवाहा) उप सचिव (यूपीपी) दूरभाष: 23384889